राजस्थान सरकार

(सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,राईस, जयपुर द्वारा संचालित)

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा टोंक

Email- wazirpuratnk@gmail.com **Mob. No.- 9413064017**

दिनांकः– 10-05-22

कमांक :–राबाआवि/लेखा/वजीर./2022–23/67-73

खुली निविदा सूचना 01/2022–23

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय हेतु जॉब बेसिस सेवा कार्यो एंव माल की आपुर्ति करवाने हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मो, सक्षम एवं अनुभवी ठेकेदारों से निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

खुली निविदा सुचना–01/2022–23 (NIB No.- SOC2223A0013)

क्र. सं.	कार्य/सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों मे)	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदाऐ कार्यालय में जमा कराने दिनांक व समय	निविदाए खोलने की दिनांक व समय
01	जॉब बेसिस कार्य (चौकीदार,रसोईया,सफाईकर्मी आदि) UBN-SOC2223SSRE00017	3.50	7000.00	200/-	17.05.2022 को सुबह 10:00 बजे तक	17.05.2022 को सुबह 12:00 बजे तक	निविदाये दिनांक 17.05.2022 को दोपहर 12:30 बजे से उपस्थित निविदाताओं एंव क्रय/मैस समिति के समक्ष खोली जायेगी।
02	सब्जी एंव फल आपुर्ति कार्य UBN-SOC2223GSRE00018	4.60	9200.00	200/-	17.05.2022 को सुबह 10:00 बजे तक	17.05.2022 को सुबह 12:00 बजे तक	

निविदा आमन्त्रण की शर्ते :–

01. तकनीकी बोली उन्ही बोलीदाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा तय दिनांक व समय तक निविदा फार्म शुल्क राशि 200/–,रूपये एंव बोली प्रतिभुति राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) के डिमाण्ड ड्राफट जो कि **Principal, Govt. Girls Residential School, Wazirpura, Tonk** के नाम हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
02. खुली निविदा के निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त कर सकते है या **www.sppp.rajasthan.gov.in** पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते है।
03. निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नही कि जायेगी तथा निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा एंव सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी तथा निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त कोई भी निविदा स्वीकार नही कि जायेगी।
04. धरोहर/प्रतिभुति राशि केवल डीडी के रूप में ही स्वीकार की जायेगी नकद स्वीकार नही की जायेगी। प्रत्येक निविदा के लिए अलग–अलग डीडी प्रस्तुत करने होंगे।
05. प्राप्त निविदाओं को निर्धारित दिनांक व समय पर विद्यालय क्रय समिति एवं उपस्थि निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा उस दिन नही खोली जाने पर उसी समय उपस्थित निविदादाताओं को सूचित कर दिया जायेगा।
06. सामान्य वित व लेखा नियम/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 या नियम 2013 की समस्त शर्ते व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देश मान्य होगें।
07. खुली निविदा में निविदाताओं को तकनीकी व वितीय निविदा को अलग–अलग लिफाफों में सीलबन्द कर डालना होगा। तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

Abha Sharma
प्रधानाचार्य
राजकीय बालिका आवासीय
विधालय,वजीरपुरा, टोंक

कमांक :–राबाआवि/लेखा/वजीर./2022–23/67-73 दिनांकः– 10-05-22

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है–

01. श्रीमान निदेशक महोदय,सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,जयपुर
02. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग (राईस),जयपुर
03. श्रीमान वितीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,जयपुर
04. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग जयपुर को निविदा सुचना एंव निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन का श्रम करावें।
05. नोटिस बोर्ड सुचना केन्द्र कलेक्ट्रेट/सान्याअवि टोंक/कोष कार्यालय टोंक

Abha Sharma
प्रधानाचार्य
राजकीय बालिका आवासीय
विधालय,वजीरपुरा, टोंक

Scanned by CamScanner

मूल्य – 200/–रू0

राजस्थान सरकार

(सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,राईस, जयपुर द्वारा संचालित)

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा टोंक

जारीकर्ता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर एंव तिथि

खुली निविदा सुचना–01/2022–23

निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा)

विषय :–राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा टोंक में चौकीदार (मुख्य गेट), रसोईया, सफाईकर्मी आदि का कार्य संविदा पर रजिस्टर्ड ठेकेदार/एजेन्सी के माध्यम से जॉब बेसिस के आधार पर करवाने हेतु।

1. निविदा प्रस्तुत करनें वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम तथा डाक का पूरा पता..
....
ई–मेल आईडी ....मोबाईल...
2. प्रोपराईटर का नाम एंव स्थायी पता ....
3. प्रोपराईटर का आधार कार्ड नम्बर...
4. निविदा शुल्क राशि................/– रू जमा कराने का विवरण –
नकद जमा रसीद संख्या/डी.डी. संख्या.......................................दिनांक...
5. बोली प्रतिभूति राशि रूपये .... जमा कराने का विवरण ....
डी.डी./बैंकर चैक संख्या ....दिनांक ....
6. धरोहर राशि हेतु **प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा टोंक** के पक्ष में जारी बैकर्स चैक/ड्राफ्ट संख्या..........................दिनांक.........................राशि रु......................संलग्न है।
7. संस्था के बैंक खाते का विवरण :–
(अ) बैंक खाते मे उल्लेखित नाम (बैंक पासबुक अनुसार)...
(ब) बैंक का नाम व शाखा ....
(स) बैंक खाता संख्या ....आईएफएससी कोड..
8. **रजिस्ट्रेशन इत्यादि का विवरण –**

क्र. सं.	विवरण	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वर्ष	पंजीकरण दिनांक
01.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एंव उन्मुलन) अधिनियम,1970/रजिस्ट्रेशन कराने का वचनपत्र			
02.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952			
03.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
04.	वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी)			
05.	आय कर (पैन)			
06	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य सं. अधि. 1958 या भारतीय साझेदारी अधिनियम .1932 या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 या के अन्तर्गत			
07	मार्च–2022 तक का जीएसटी जमा होने का स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र /चालान की कॉफी			
08	वित विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र संख्या F2(1)/एफ.डी. /एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 के क्रम में वचन पत्र			
09	राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का 50 रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नौटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र			
10	अन्य दस्तावेज:–01. प्रोपराईटर का आधार कार्ड 02. लघु औद्योगिक इकाई रजि. प्रमाण–पत्र (यदि हो तो)			

उक्त सभी रजिस्ट्रेशन एंव दस्तावेजो के संबंध में राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक/स्वंय द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि ई–निविदा में निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

Abla Sharma
प्रधानाचार्य
रा० बा० आवा० उ० मा० वि०
वजीरपुरा टोंक

Scanned by CamScanner

9. तकनीकी सक्षमता :–

(क) **वितीय टर्न ओवर** :–प्रति वर्ष के टर्नओवर का विवरण (आयकर रिटर्न, बैलेंस शीट व लाभ–हानि खाता)गत तीन वर्षों का वितीय टर्न ओवर के संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित दस्तावेज ई–निविदा के साथ अपलोड करने होंगें।

क्रं. सं.	वितीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रूपये लाखों में)
01	2019–20	
02	2020–21	
03	2021–22	

(ख) कार्यानुभव का विवरणः– (प्रमाण पत्रो की प्रति संलग्न करें)

क्र. स.	संस्थान का नाम	कार्यादेश की संख्या एवं दिनांक	कार्य की लागत
01			
02			
03			

(ग) यदि तीन वर्षो में समकक्ष प्रकार के कार्य किए गए हैं तो गत तीन वर्षों में 2019–20, 2020–21 2021–22 में समकक्ष प्रकार के कार्यादेश की प्रति निविदा के साथ संलग्न करे एवं साथ ही उन कार्यादेशों का संतोषप्रद पूर्णता का संबंधित विभाग/संस्था का प्रमाण पत्र भी अपलोड करें।

मैने/हमने प्रधानाचार्य राजकीय बालिका आवासीय उ0मा0 विधालय, वजीरपुरा टोंक के द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या........................दिनांक ....में वर्णित एंव निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैने/हमने हस्ताक्षर किये है जिन्हे मै/हम मानने के लिये बाध्य हूँ/है।

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो आवासीय विधालय प्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एंव उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य राजकीय बालिका आवासीय विधालय, वजीरपुरा टोंक को प्रदत करता हूँ/करते है।

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर
संस्था/फर्म/एजेन्सी की सील

AbbaSharma
प्रधानाचार्य
रा० बा० आवा० उ० मा० वि०
वजीरपुरा,टोंक

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

(सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,राईस, जयपुर द्वारा संचालित)

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा टोंक

खुली निविदा सुचना–01/2022–23

निविदा की सामान्य शर्ते

(राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा टोंक में चौकीदार (मुख्य गेट), रसोईया, सफाईकर्मी आदि का कार्य संविदा पर रजिस्टर्ड ठेकेदार/एजेन्सी के माध्यम से जॉब बेसिस के आधार पर करवाने हेतु)

1. तकनीकी बोली उन्ही बोलीदाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा तय दिनांक तक निविदा फार्म शुल्क राशि 200/–,रूपये एंव बोली प्रतिभुति राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) के डिमाण्ड ड्राफट जो कि **Principal, Govt. Girls Residential School, Wazirpura, Tonk** के नाम से इस कार्यालय को जमा करवा दिया गया होगा।
2. प्रतिभूति राशि (बिड सिक्योरिटी) निविदा राशि की 2 प्रतिशत एंव अमानत राशि (परफोर्मेन्स सिक्योरिटी) निविदा राशि की 2.5 प्रतिशत होगी।
3. कार्यालय द्वारा जारी किये गये निविदा प्रपत्र पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदा दो बिड सिस्टम पर आधारित है प्रथमतः तकनीकी निविदा खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वितीय निविदा खोली जायेगी। सफल निविदादाता को 2.5 प्रतिशत प्रतिभुति निक्षेप राशि का डीडी/ई–ग्रास के माध्यम से चालान जमा करवाकर अनुबन्ध से पुर्व प्रस्तुत करना होगा। सफल निविदादाता के द्वारा निविदा में प्रस्तुत 2 प्रतिशत अमानत राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजन कर लिया जायेगा, शेष 0.5 प्रतिशत प्रतिभुति राशि का डीडी/ई–ग्रास के माध्यम से चालान जमा करवाकर अनुबन्ध से पुर्व जमा कराना होगा। **निविदा में सर्विस चार्ज की राशि ऋणात्मक तथा शून्यमान्य नही होगी । सर्विस चार्ज की राशि में 0 से 0.99 तक की राशि को भी शून्य में ही माना जाएगा ऐसी निविदा पर विचार नही किया जायेगा तथा निविदादाता की सर्विस चार्ज राशि बाजार में प्रचलित दर से भी अधिक नही होनी चाहिए।**
4. रजिस्टर्ड सेवा प्रदाता संस्था/एनजीओं द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जावे तथा निविदा के साथ अमानत राशि नकद स्वीकार्य नहीं होगी।
5. निविदादाता को इस प्रपत्र के पृष्ठ संख्या 01 पर अंकित सभी दस्तावेजो की छाया प्रतिया स्व प्रमाणित कर इस तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
6. समान दरें प्राप्त होने पर विधालय एंव छात्रावास व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने हेतु उपापन समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
7. बोली स्वीकृत होने की स्थिति मे 7 दिवस में सफल निविदा दाता को निर्धारित प्रपत्र में स्वंय के खर्चें पर 500/– रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर एक अनुबन्ध भरना होगा जिसकी मूल प्रति निःशुल्क कार्यालय आवासीय विधालय वजीरपुरा, टोंक को देनी होगी। जॉब बेसिस की शर्तों एंव नियमो को भली प्रकार से निभाने के लिए वित (जीएण्डटी) विभाग राजस्थान सरकार गजट नोटिफिकेशन दिनांक 12.01.2022 के अनुसार कुल निविदा राशि की 2.5 प्रतिशत राशि सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी। जो बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक/ई–ग्रास के माध्यम से चालान जमा करवाकर जमा कराई जा सकती है। इस जमा पर कोई ब्याज देय नही होगा। पुर्व में 2 प्रतिशत जमा अमानत राशि इसमें समायोजित कर ली जावेगी।
8. ई–ग्रस के माध्यम से बोली प्रतिभूति राशि एंव कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवाने हेतु वित (जीएण्डटी) विभाग,राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 एंव वित (जीएण्डटी) विभाग,राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 09.07.2020 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
9. **निविदादाता द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का 50 रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नौटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। स्टाम्प निविदा जारी होने के बाद की तिथि का होना चाहिए।**
10. निविदादाता यदि निविदा खुलने के बाद परन्तु अनुमोदन/स्वीकृति से पुर्व अपनी दरों में परिवर्तन करें, या निविदा वापस लेने या जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का अनुबन्ध समय पर नही करें या समय पर सम्पादन सिक्युरिटी राशि जमा नही करावे या समय पर सेवायें उपलब्ध नही करावें या अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करें, तो निविदा निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी एंव नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. अस्वीकृत निविदाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवाई गई धरोहर राशि लोटा दी जायेगी, किन्तु निम्नांकित परिस्थियों में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी–

    क. यदि निविदाताओं को निविदा खोलने के बाद, किन्तु उसकी स्वीकृति के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता हैं अथवा स्वेच्छा से संशोधित करता है।

    ख. यदि निविदादाता निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादित नहीं करता है।

    ग. यदि निविदादाता कार्य आदेश मिलने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

    घ. यदि निविदादाता कार्य आदेश के अनुसार कार्य आरम्भ नहीं करता है।
12. सफल निविदादाता अपने जॉब बेसिस कार्यो या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य संस्था/व्यक्ति/एजेन्सी को नही सौपेगा और ना ही उप बेचान करेगा व विधालय द्वारा किसी प्रकार की सुविधा जैसे आवास, भोजन, वर्दी आदि उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।
13. श्रमिकों को निर्धारित न्युनतम मजदुरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्युनतम मजदुरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा निविदादाता को बढी हुई न्युनतम मजदुरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जावेगा।

Abla Sharma

रा० बा० आवा० उ० मा० वि०
वजीरपुरा,टोंक

Scanned by CamScanner

14. निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ESI एंव EPF जमा कराना होगा जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदुरी राशि से कटौती और निविदादता का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ESI एंव EPF के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलो का भुगतान किया जायेगा।

15. संवेदक द्वारा श्रमिक को देय राशि पर वस्तु एंव सेवा कर की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। संवेदक द्वारा आगामी माह के बिल के साथ गत माह में जमा कराये गये जीएसटी की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टिमे सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने व श्रमिकों को उनके बैंक खाते में राशि जमा कराये जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलो का भुगतान किया जायेगा।

16. ठेकेदार को श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाऐं आदि में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता का होगा । श्रम विधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नही करनें की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए सेवा प्रदायकर्ता स्वयं उतरदायी होगा। सेवा प्रदायकर्ता को श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधन की पालना करनें का दायित्व ठेकेदार का होगा, पालना नही करनें की स्थिति में **प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय वजीरपुरा टोंक** को ठेका निरस्त करनें का पूर्ण अधिकार होगा।

17. **ठेकेदार द्वारा अपनें कर्मकारों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रुप से करना होगा चाहें राजकीय बालिका आवसीय विद्यालय, वजीरपुरा टोंक से किसी भी कारण से देरी से भुगतान प्राप्त ही क्यों न हो।**

18. सफल निविदादाता द्वारा अपने जॉब बेसिस कार्य प्रतिदिन निर्धारित समयानुसार करने होगें एंव कार्य नही करने पर निविदा की अनुमोदित दरों के अनुपात में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से कटौती की जावेगी जो शास्ति की श्रेणी में नही आवेगी।

19. न्युनतम बोली स्वीकार करने के लिए यह कार्यालय बाध्य नही होगा तथा राज्य एंव कार्मिकों के हित में उपापन समिति को यह अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर सकेगी तथा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पुर्ण अधिकार मैस समिति/उपापन समिति राजकीय बालिका आवासीय विधालय, वजीरपुरा, टोंक को होगा।

20. यदि सफल निविदादाता जॉब बेसिस कार्य अवधि के बीच में ही छोडकर चला जाता है अथवा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य नही करता है तो ऐसी दशा में प्रधानाचार्य राजकीय बालिका आवासीय विधालय वजीरपुरा,टोंक को निविदादाता की जोखिम एंव लागत पर इन कार्यों की व्यवस्था की अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का अधिकार होगा एंव उसकी वसूली सम्बन्धित निविदादाता से की जावेगी।

21. सफल निविदादाता द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को कार्यों के लिए नही भेजा जावेगा और ना ही शराबी, अन्य नशे आदि अथवा आपराधिक प्रवृति में लिप्त व्यक्ति को जॉब बेसिस कार्यो के लिए भेजा जावेगा। यदि किसी भी भेजे जाने वाले श्रमिक द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाता है तो उससे होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिए सम्बन्धित निविदादाता पूर्ण उतरदायी होगा। निविदादाता द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों के वयस्क होने का सबूत उसके उस परिचय पत्र में दर्शाना होगा जो प्रतिदिन ड्युटी पर वर्दी के साथ पहनकर अनिवार्य रूप से आयेगा।

22. सफल निविदादाता को जॉब बेसिस कार्यो के मासिक बिलों को भुगतान फर्म के खाते में ई.सी.एस. से कराया जावेगा और भुगतान में देरी होने पर किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा। भुगतान के अभाव में जॉब बेसिस कार्य रोकना, किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान मान्य नही होगा। ऐसा करने पर विधालय सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

23. सफल निविदादाता को जॉब बेसिस कार्य कार्य आदेश दिनांक से 31.03.2023 तक अथवा आगामी जॉब बेसिस निविदा की प्रक्रिया पुर्ण होने तक अनुमोदित दर से कार्य जारी रखने होगें। तथापि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से अनुवन्ध की अवधि नियमानुसार आगे बढाई जा सकेगी।

24. कार्यालय द्वारा सफल निविदादाता को जॉब बेसिस कार्यो के भुगतान की तिथि से उनके श्रमिकों के भुगतान का कोई सम्बन्ध नही होगा। श्रम अधिनियम के प्रावधानों की पालना नही होने पर उनके विरूद्ध श्रमिक द्वारा श्रम न्यायलय में वाद प्रस्तुत करने की स्थिति में सफल निविदादाता स्वंय के खर्चे से वाद का निरस्तारण करायेगा। यदि अनुबन्ध अवधि में लगाये गये श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना हो तो उससे होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिए सफल निविदादाता पुर्ण जिम्मेदार होगा। इस कार्यालय की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई जिम्मेदारी नही होगी।

25. निविदादाता द्वारा लगाये गये व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का लाभ अथवा परिलाभ देय नहीं होगा। आवासीय विधालय में लगाये गये श्रमिकों को देय भुगतान का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो ठेकेदार स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को अपनें कर्मकारों के कार्य दिवस कार्य घण्टें दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त का रिकार्ड को तैयार करनें एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखनें की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

26. जॉब बेसिस कार्य व्यवस्था सुचारू नही होने की दशा में प्रतिदिन आनुपातिक रूप से राशि की कटौती की जावेगी तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा जो सभी पक्षो को मान्य होगा। **कानुनी विवाद का न्याय क्षेत्र टोंक,राजस्थान होगा।**

27. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार **प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा टोंक** को होगा।

28. जॉब बेसिस कार्यो हेतु भेजे जाने वाले श्रमिक सफल निविदादाता के ही श्रमिक कहलायेंगे तथा उनके पारिश्रमिक के भुगतान के लिए सफल निविदादाता ही पुर्ण उत्तरदायी होगा एंव उसके भेजे जाने वाले श्रमिकों के बीच भुगतान के विवाद के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा।

Abha Sharma

प्रधानाचार्य
रा० बा० आवा० उ० मा० वि०
वजीरपुरा.टोंक

Scanned by CamScanner

29. सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में ठेकेदार को स्वीकृत ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करनें का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय वजीरपुरा टोंक को होगा।

30. जॉब बेसिस कार्य पूर्णतया अस्थायी तौर पर रहेंगे तथा निश्चित शर्तों के अनुसार कार्य नही होने पर पुनः विचार कर कार्य अवधि को घटाने/बढाने का अधिकार उपापन समिति को होगा।

31. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्युनतम मजदुरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सुचित करेंगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डीबार कराने की कार्यवाही करेंगी।

32. जॉब बेसिस कार्यो का निविदा प्रपत्र भली प्रकार से पुर्ण रूप से भरकर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एंव फर्म की मोहर अंकित करके निविदा के साथ संलग्न करना होगा। प्राप्त निविदाये उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा निर्धारित दिनांक एंव समय को खोली जायेगी। निविदा खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होने पर निविदा अगले दिन खोली जाएगी।

33. दरे शब्दों एंव अंको दोनो में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नही होना चाहिए।

34. न्युनतम आठ घण्टे कार्य करना होगा अन्यथा भुगतान में कटौती की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता स्वंय की होगी।

35. जॉब बेसिस पर कार्यरत संविदा कर्मियों के द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही या आवासीय विधालय के कर्मचारियों/छात्राओं से अनैतिक व्यवहार किया जाता है तो सम्बन्धित फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

36. अनुबन्ध अवधि में विधालय भवन के स्थायी/अस्थायी सामान की टुट–फुट श्रमिकों से होती है तो उसकी वसूली सफल निविदादाता से की जावेगी। किसी सामान के गायब किये जाने की स्थिति में सामान की क्षतिपुर्ति राशि निविदादाता से वसुल की जावेगी व सेवा अनुबन्ध के दौरान सेवा पर लगे कार्मिकों द्वारा विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाऐं राज्य सरकार के नियमानुसार गोपनीय रखी जावेंगी।

37. सफल निविदादाता के द्वारा कार्य को प्रतिदिन पूर्व में ही जाचकर जॉब श्रमिको को पर्याप्त संख्या में विधालय में भेजकर कार्य निर्धारित समय में सम्पन्न करना होगा लेकिन जॉब श्रमिकों की अधिक संख्या किसी भी दिन बताकर कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा और ना ही एक दिन के कार्यो में जॉब श्रमिक नही भेजकर सफल निविदादाता द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जायेगा।

38. जॉब बेसिस सेवाओं हेतु इस विधालय में कोई भी पद स्वीकृत नही है और ना ही भविष्य में कोई पद स्वीकृत होने की संभावना है तथा विधालय द्वारा जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों से सीधा कोई पत्र नही किया जावेगा। केवल सफल निविदादाता/फर्म/एजेन्सी/संस्था से ही पत्र व्यवहार किया जावेगा। सफल निविदादाता द्वारा चौकीदारी,रसोईया,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,बागवान,इलेक्ट्रीशियन आदि के कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें गये कर्मकार की कार्यावधि ठेके की अवधि समाप्त होते ही स्वयं ही समाप्त हो जायेगी एवं किसी भी स्थिति में कर्मकार नियमित नियुक्ति के पात्र नही होंगे।

39. सफल निविदादाता/फर्म/एजेन्सी/संस्था प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद जॉब बेसिस कार्यो का बिल विधालय कार्यालय को भुगतान कार्यवाही कराने हेतु प्रस्तुत करेगी। बिल कोषागार से पारित हाने पर भुगतान सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म के बैंक खाते में ECS के माध्यम से जमा होगा । निविदादाता संलग्न अनेक्जर व समस्त दस्तावेजों की अपेक्षित पुर्ति कर समस्त पृष्ठों पर स्वंय के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करेगा।

40. नियोजित कार्मिकों के बीमा एंव भविष्य निधि अंशदान के भुगतान की जिम्मेदारी सफल निविदादाता फर्म/संस्था की होगी।

41. निविदा के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र की वैधता अवधि निविदा खोलने की तिथि तक अद्यतन होनी चाहिए।

42. निविदा में दी गई शर्तो के अतिरिक्त निविदादाता द्वारा दी गई शर्ते स्वीकार नही की जावेगी अर्थात सशर्त निविदाये स्वीकार नही की जावेगी तथा तकनीकी निविदा में सफल होने के पश्चात ही वितीय निविदा खोली जावेगी।

43. शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन/दीपावली/होली के त्यौहार पर छात्राओं के विधालय में नही रहने स्थिति में निविदादाता को उतने दिनों का कार्य नही करने के कारण कोई भुगतान नही किया जायेगा।

44. **कार्य की प्रकृति के अनुसार महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।**

45. **आवासीय विधालय में कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्मिकों की संख्या घटाई एंव बढाई जा सकती है।**

46. मार्च–2022 तक का जीएसटी जमा होने का स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र एंव चालान की कॉफी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

47. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/संशोधन आदेशों के अनुरूप टी.डी.एस.,जी.ए.टी. अथवा अन्य करों की कटौती की जावेगी।

48. अन्य शर्ते सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी तथा उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर
निविदादाता/फर्म/एजेन्सी मय सील

Abla Sharma
प्रधानाचार्य
रा० बा० आवा० उ० मा० वि०
वजीरपुरा,टोंक

Scanned by CamScanner

जॉब बेसिस श्रमिको के लिए कार्य की प्रकृति के अनुसार विशिष्ट शर्ते :–

❖ **चौकीदार के लिए :–**

- प्रतिदिन मुख्य द्वार पर आगमन–निगमन रजिस्टर में प्रत्येक व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है उसके आने व जाने का समय इन्द्राज करना अनिवार्य होगा। न्युनतम आठ घण्टे कार्य करना होगा अन्यथा भुगतान में कटौती की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता स्वंय की होगी।
- चौकीदारो की ड्यूटी राउण्ड मे लगायी जायेगी।
- श्रम विभाग के नियमों के अनुसार एक श्रमिक की महीने की मजदूरी की गणना 26 दिन मानकर की जाती है और चौकीदार की आवश्यकता पूरे महीने रहेगी। इस आधार पर चौकीदारो की मजदूरी की गणना महीने मे जितने दिन (30,31,28) मानकर की जायेगी। चौकीदार को श्रम विभाग के नियमों के अनुसार चार दिन का अवकाश देना पडेगा अर्थात् सफल निविदादाता को रीलीवर लगाना पडेगा।

❖ **रसोईया के लिए :–**

➢ छात्राओं को एक दिन में दो समय भोजन, एक समय नाश्ता मय दुध/चाय,फल एंव विशेष भोजन, निर्धारित समयानुसार उपलब्ध कराना होगा। सर्दी व गर्मी का समय भिन्न भिन्न हो सकता है।

➢ **स्पेशल डाईट साप्ताहिक त्यौंहार/उत्सव पर आवश्यक उपलब्ध करवाने की व्यवस्था होगी जिस पर किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।**

➢ प्रतिदिन भोजन मय नाश्ता का समय सामान्यतया इस प्रकार से होगा।

प्रातः काल नाश्ता : 7:00 AM से 7:30 AM
दोपहर भोजन : 11:00 AM से 12:00 PM
रात्रि भोजन : 07:00 PM से 08:00 PM

नोट :– समय में परिवर्तन किया जा सकेगा।

प्रतिदिन भोजन मय नाश्ता का मेन्यू निम्न प्रकार होगा।

क. सं.	वार	सुबह का नाश्ता	सुवह का खाना	रात्रि भोजन
01.	सोमवार	पोहे, दूध	चपाती, दाल, दही/रायता	चपाती, सब्जी, सलाद/फल
02.	मंगलवार	अंकुरित चने/मूंग/मोंठ, दुध	चपाती,दाल,रायता	चपाती, हरी सब्जी, फल
03	बुधवार	पोहे,दुध	चपाती, चावल, राजमा की सब्जी,छाछ	चपाती, सब्जी, सलाद/फल
04	गुरूवार	मीठा दलिया व दुध	चपाती, दाल, कढी	चपाती, मौसमी सब्जी, फल
05	शुक्रवार	नमकीन दलिया, दूध	चपाती, दाल,दही	चपाती, सब्जी, सलाद/फल
06	शनिवार	बिस्कुट व दुध	चपाती, दाल,छाछ	चपाती, सब्जी सलाद/फल
07	रविवार	पोहे,दुध	विशेष भोजन	चपाती, सब्जी

विशेष भोजन

प्रथम रविवार	नमकीन चावल, पुडी, छोले की सब्जी
द्वितीय रविवार	खीर, पुडी, सब्जी
तृतीय रविवार	चूरमा, बाटी, दाल
चतुर्थ रविवार	खीर–पुडी, सब्जी
पंचम रविवार	गेंहू के आटे का हलवा (लापसी) पूडी, सब्जी

नोट :– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मेन्यू में परिवर्तन करने पर उसके अनुसार ही खाना बनाना होगा।

➢ भोजन मय नाश्ता में काम आने वाली प्रत्येक राशन सामग्री की व्यवस्था मय दुध, हरी सब्जी, ईधन भोजन पकाने एवं खाना खिलाने संबंधी बर्तन एवं उपकरण विधालय अपने स्तर पर उपलब्ध करवायेगा।

➢ भोजन प्रत्येक विधार्थी को उसकी आवश्यकतानुसार भरपेट खिलाना होगा। भोजन की गुणवता परखने के लिये मैस संचालन समिति के सदस्यों को सर्वप्रथम भोजन का टेस्ट करवाना होगा।

➢ शीतकालीन अवकाश/दीपावली/होली के त्यौहार पर छात्राओं के विधालय में नहीं रहने की स्थिति में निविदादाता को उतने दिनों का मैस में कार्य नहीं करने के कारण कोई भुगतान नही किया जायेगा।

➢ भोजन पकाने में ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पहचान हेतु ठेकेदार को अपने व्यय पर पहचान पत्र जारी करना होगा। उनके ठहरने की व्यवस्था विधालय परिसर में नहीं होगी।

➢ रसोईयो को गेहुं,आटा, मसाला,दाले आदि की भी साफ–सफाई भी करनी होगी इसके लिए अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।

Abla Sharma
प्रधानाचार्य
रा॰ बा॰ उ॰ मा॰ वि॰
वजीरपुरा,टोंक

Scanned by CamScanner

- रसोई, भोजन कक्ष तथा मैस परिसर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी स्वंय निविदादाता की ही होगी तथा कार्य में आने वाले बर्तन व अन्य संबंधित उपकरणों को प्रतिदिन साफ करना होगा।
- भोजन मय नाश्ता पकाने मे प्रयोग मे आने वाली गैस की व्यवस्था विधालय द्वारा ही की जायेगी।
- भोजन की गुणवता के स्तर मे कमी पाये जाने तथा सब्जी, रोटी आदि खाद्य सामग्री उचित रूप से न पकाने या खराब होने की स्थिति में जिसकी पुष्टि मैस समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा करने पर वह खाद्य सामग्री पुनः तैयार करनी होगी एंव उस सामग्री की क्रय राशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा करना होगा एंव रसोईयो को अतिरिक्त पारिश्रमिक स्थानीय विधालय द्वारा नही दिया जायेगा।
- छात्राओ के लिए प्रातःकालीन नाश्ता एंव दोपहर एंव सांयकालीन भोजन सदैव निर्धारित समय पर तैयार करना होगा। निर्धारित समय पर तैयार न करने की स्थिति मे सेवा मे कमी माना जायेगा। ऐसा बार–बार होने की पुष्टि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- भोजन पकाते समय रसोईयों को कीचन की पौशाक, एंव टोपी पहननी होगी।
- आवश्यक सुरक्षा माप दण्डों का पालन करना निविदा दाता की जिम्मेदारी होगी तथा कार्य के दौरान श्रमिक के साथ हुई दुर्घटना के लिये निविदादाता ही जिम्मेदार हेागा।
- निविदा स्वीकृत होने के कार्य आदेश मिलने पर छात्रावास अधीक्षक से खाना बनाने के बर्तन प्राप्त करके प्राप्ति रसीद देनी होगी तथा कार्य समाप्ति पर अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
- बालिका आवासीय विधालय में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
- **छात्राओं की संख्या के आधार रसोईया को लगाया जायेगा जिसके लिए छात्रा संख्या 200 से अधिक होने पर ही उक्त रसोईया को लगाया जायेगा। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं। 4 रसोईया पूर्व से ही संविदा पर कार्यरत है तथा यह पांचवा रसोइया होगा।**

क्र.सं.	छात्राओं संख्या	रसोईयो की संख्या
01	1-50	1
02	51-80	2
03	81-150	3
04	151-200	4
05	201-300	5

- श्रम विभाग के नियमों के अनुसार एक श्रमिक की महीने की मजदुरी की गणना 26 दिन मानकर की जाती है और रसोईया की आवश्यकता पुरे महीने रहेगी। इस आधार पर रसोईया की मजदुरी की गणना महीने मे जितने दिन (30,31,28) मानकर की जायेगी।रसोईया को श्रम विभाग के नियमों के अनुसार चार दिन का अवकाश देना पडेगा अर्थात सफल निविदादाता को रीलीवर लगाना पडेगा।
- न्युनतम आठ घण्टे कार्य करना होगा अन्यथा भुगतान में कटौती की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता स्वंय की होगी।

❖ सफाई कर्मी के लिए :–

- जॉब बेसिस पर नियुक्त किसी भी कर्मचारी के अवकाश में रहने पर पूर्ण सुचना देनी होगी तथा उसे अवकाश के दिन का कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
- निविदादाता को सफाई कार्य के लिये सफाई से संबंधित सामग्री छात्रावास अधीक्षक/भण्डारपाल, विधालय से उपलब्ध करवा दी जायेगी। पतझड/वर्षा/आंधी तुफान के समय विधालय में विशेष सफाई अभियान चलाना होगा एंव कचरा विधालय तथा छात्राावास परिसर से बाहर डालना/ निस्तारण करना होगा तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार समय–समय पर अभियान चलाना होगा।
- विधालय के सम्पुर्ण परिसर यथा :– छात्रावास, विधालय, मैस, की साफ–सफाई, धुलाई, पोंछा बाथरूम एंव शोचालयों की सफाई, बरामदों, गलेरियों, खिडकी, दरवाजों एंव परिसर की उपरी छत विधालय के बाहर के मैदानों (चार दीवारी के अन्दर) एंव नये निर्मित होने वाले भवनों की सफाई करनी होगी, मल–मूल आदि की धुलाई करके सफाई करनी होगी, छात्रावास के बाहर चारों ओर की गंदगी की सफाई रोजाना करनी होगी, डस्टबीन रोजाना खाली करनी होगी तथा सीवर लाईन के चेम्बर चौक हो जाने पर चौक लाईन को चालु (ठीक)करनी होगी। भोजनशाला एंव विधालय परिसर में प्रतिदिन फिनाईल से पौचा लगाना होगा व भोजन कक्ष में सुबह के नाश्ता, दोपहर के भोजन, शाम के नाश्ता व शाम के भोजन के बाद नियमित सफाई करनी होगी तथा छात्रावास परिसर में सुबह एंव शाम दोनो समय सफाई करनी होगी।
- न्युनतम आठ घण्टे कार्य करना होगा अन्यथा भुगतान में कटौती की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता स्वंय की होगी।
- श्रम विभाग के नियमों के अनुसार एक श्रमिक की महीने की मजदुरी की गणना 26 दिन मानकर की जाती है और रसोईया की आवश्यकता पुरे महीने रहेगी। इस आधार पर सफाईकर्मी की मजदुरी की गणना महीने मे जितने दिन (30,31,28) मानकर की जायेगी। सफाईकर्मी को श्रम विभाग के नियमों के अनुसार चार दिन का अवकाश देना पडेगा अर्थात सफल निविदादाता को रीलीवर लगाना पडेगा।
- किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।
- **आवासीय विधालय के छात्रावास में सफाई का कार्य करने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।**

Abla Sharma

रा० बा० आवा० उ० मा० वि०
वजीरपुरा,टोंक

Scanned by CamScanner

नोटः– निविदा फॉर्म में टंकण की त्रुटि होने की दशा में **GF&AR** में वर्णित शर्तें ही अन्तिम रूप में मान्य होगी।

वित विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.2(1)वित/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 संख्या 01/2018 द्वारा जारी परिपत्र की सभी शर्ते निविदादाता द्वारा मान्य होगी।

01. न्यनतम मजदुरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
02. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एंव उन्मुलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 एंव कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पुर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
03. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदुरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों मे ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें मे जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों मे जमा कराई गई राशि का विवरण उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर संवेदक को आगामी माह के बिल भुगतान किया जायेगा।
04. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदुरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदुरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। श्रमिकों को निधारित न्युनतम मजदुरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्युनतम मजदुरी दर में श्रम विभाग की अधिसुचना से समय–समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्युनतम मजदुरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
05. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ. एंव ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदुरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। सवेदक द्वारा आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई. एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि मे समन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
06. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाइन नम्बर एंव संवेदक द्वारा न्युनतम मजदुरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
07. राज्य में लागु श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एंव ई. एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
08. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एंव सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एंव सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी मााह के बिल में वस्तु एंव सेवा कर का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एंव सेवा कर के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उतरदायित्व संवेदक का होगा।
09. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसुचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसुचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करनें की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उतरदायी होगा।
10. यदि संवेदक एंव कार्य पर लगायें गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्युनतम मजदुरी अधिनियम, 1948 एंव राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एंव उन्मुलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापुर्वक पालन करने के लिये उतरदायी होगा।
11. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पुर्ण कर लिये जाने पर औधोगित विवाद अधिनियम, 1974 मे विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उतरदायित्व संवेदक का होगा।
12. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपुर्ति या मुआवजा देने/ई. एस.आई. करवाने/सामुहित दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एंव दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
13. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्युनतम मजदुरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सुचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार कराने की कार्यवाही करेगी।

हस्ताक्षर

AbhaSharma
प्रधानाचार्य
रा० बा० आ० उ० मा० वि०
वजीरपुरा,टोंक

Scanned by CamScanner

निविदादाता/फर्म/एजेन्सी मय सील

मैं/हम **प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय वजीरपुरा टोंक** द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना क्रमांक ....दिनांक .... में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मैरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किये गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मैरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही हैं। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी निविदा/अनुबन्ध को निरस्त करने, मैरे/हमारे विरूद्ध कानूनी/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

हस्ताक्षर
निविदादाता/फर्म/एजेन्सी मय सील

कं. सं.	नाम दस्तावेज/प्रमाण–पत्र	नत्थी सं.
01	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एंव उन्मुलन) अधिनियम,1970/रजिस्ट्रेशन कराने का वचनपत्र	
02	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	
03	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	
04	वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी)	
05	आय कर (पैन)	
06	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य सं. अधि. 1958 या भारतीय साझेदारी अधिनियम . 1932 या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 या के अन्तर्गत	
07	मार्च–2022 तक का जीएसटी जमा होने का स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र /चालान की कॉफी	
08	वित विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र संख्या F2(1)/एफ.डी. /एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 के क्रम में वचन पत्र	
09	राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का 50 रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नौटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र	
10	अन्य दस्तावेजः–01. प्रोपराईटर का आधार कार्ड 02. लघु औधोगिक इकाई रजि. प्रमाण–पत्र (यदि हो तो)	

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम एंव पूर्ण पता ....

Abla sharma

रा॰ बा॰ आवा॰ उ॰ मा॰ वि॰
वजीरपुरा,टोंक

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

(सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,राईस, जयपुर द्वारा संचालित)

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय वजीरपुरा टोंक

खुली निविदा सुचना–01/2022–23

निविदा प्रपत्र (वितीय निविदा)

(राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा टोंक में चौकीदार (मुख्य गेट), रसोईया, सफाईकर्मी आदि की व्यवस्था हेतु संविदा पर रजिस्टर्ड ठेकेदार/एजेन्सी के माध्यम से जॉब बेसिस के आधार पर करवाने हेतु।)

1. निविदादाता फर्म का नाम व पता ....
2. निविदा संख्या ....दिनांक ..../........../..........
3. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु जमा कराई गई राशि .... की कार्यालय रसीद संख्या ....दिनांक ..../......................./..............................
4. धरोहर राशि जमा करवाने के संदर्भः डी.डी. संख्या ....दिनांक........../........../..........
5. मैं/हम निविदा सूचना संख्या ....दिनांक ..../........../.......... में अंकित समस्त भार्तों एवं तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त भार्तो से सहमत हूँ/हैं सहमति के साक्ष्य स्वरूप तकनीकी निविदा शर्तों के प्रत्येक पृश्ठ पर मेरे/हमारे हस्ताक्षर किये गये है।
6. दरें समस्त करों सहित निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	सेवा का नाम	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदुरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दर	EPF दर 13% on Col. No. 5	ESI दर 3.25% on Col. No. 5	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चौकीदार	अकुशल श्रमिक चौकीदार –1	252 रूपये प्रति श्रमिक प्रतिदिन	252.00	32.76	8.19		
2	रसोईया	अकुशल श्रमिक (कुक कैरियर–1)	252 रूप्ये प्रति श्रमिक प्रतिदिन	252.00	32.76	8.19		
3	सफाई कर्मी	अकुशल श्रमिक सफाई कर्मचारी –1	252 रूपये प्रति श्रमिक प्रतिदिन	252.00	32.76	8.19		

01. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ सं. 1 से 7 तक की पुर्ति इस कार्यालय द्वारा की जाकर दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है। केवल स्तम्भ 8 व 9 मे निविदादाता द्वारा प्रविष्टि की जावेगी।
02. वस्तु एंव सेवा कर राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी एंव पीएफ एंव ईएसआई की दर में परिवर्तन होने पर उसी दर से बिल बनाकर प्रस्तुत करना होगा।
03. निविदादाता सभी सेवाओं में दर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से ही देवे।
04. संविदा कार्मिकों को उनके खातो में किये गये भुगतान का प्रमाण–पत्र, पीएफ, ईएसआई व जीएसटी जमा के चालानों की प्रति प्रस्तुत करने पर ही आगामी बिल पारित किया जायेगा।
05. निविदा में सर्विस चार्ज की राशि ऋणात्मक तथा शून्यमान्य नही होगी । सर्विस चार्ज की राशि में 0 से 0.99 तक की राशि को भी शून्य में ही माना जाएगा। ऐसी निविदा पर विचार नही किया जायेगा तथा निविदादाता की सर्विस चार्ज राशि बाजार में प्रचलित दर से भी अधिक नही होनी चाहिए।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

Abla Sharma

प्रधानाचार्य

रा० बा० आवा० वि० वि०

वजीरपुरा,टोंक

Scanned by CamScanner

इकरार नामा

यह करार पत्र आज दिनांक..................माह...........................सन्............................को एक पक्ष....................(जिसे इसमें आगे अनुमोदित सेवा प्रदाय कर्ता कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादको एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे सरकार कहा गया है। तथा इस अभिव्यक्ति में जाहँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेषितियों को शामिल किया हुआ समझाा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

1. चूकि सेवा प्रदाय कर्ता राजस्थान राज्य के टोंक जिले में **राजकीय बालिका आवसीय विद्यालय वजीरपुरा टोंक** में चौकीदार, रसोईया, सफाईकर्मी आदि का कार्य करानें की शर्तो में दिये गये तरीके से तथा कार्यादेश संख्या............ .... दिनांक...........में दी गई दरों पर प्रदाय करनें के लिए सरकार से समहत हो गया है।

2. एवं चूकि सेवा प्रदात कर्ता ने रुपयें की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी है:—

   (1) नगद /बैंक ड्राफ्ट/चालन संख्या/बैंकर्स चेक/रसीद संख्या...............दिनांक.......................

3. अत: अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है।

   (1) कार्यादेश संख्या..................दिनांक........................दी गई दरों पर ....के मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल सेवा प्रदायकर्तानिविदा एवं संविदा की शर्तो में दिये गये तरीके से उक्त कर्मकारों की विधिवत सप्लाई करेगा।

   (2) निविदा सूचना संख्या...................... दिनांक..........................से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं कार्य करने की शर्तो को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करनें वाले पक्षकरों के लिए मान्य होगी।

   (3) सेवा प्रदायकर्ता कार्यदेश संख्या............................दिनांक.........................से उल्लेखित अवधि/ तिथि निर्धारित संख्या में कर्मकारों की सेवाए प्रदाय करेगा।

4. सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि सेवा प्रदायकर्ता उक्त कर्मकारों की उपयुक्त तरीके से विधिवत सेवा प्रदाय करेगा उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनायें रखेगा, तो सरकार..के माध्यम से अनुमोदति सेवा प्रदाय को उक्त शर्तो में दिये गये समय पर तथा तरीके से सेवा प्रदायक के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या करवाएगी।

5. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करवायें जाएगें। यदि किसी समय ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध नही करवा जाने पर चौकीदारीं,रसोईया,बागवान,सफाईकर्मी आदिका कार्य सन्तोषजनक नही होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जाएगी।

6. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस कारार पत्र के निर्वाचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान – जयपुर) द्वारा विनिश्चित किये जाएगे तथा सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक..................माह......................सन्....................को अपनें हस्ताक्षर कियें।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी और से — अनुमोदित सेवा प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांकसाक्षी सं 1 — साक्षी सं 2

दिनांकसाक्षी सं. 1 — साक्षी सं. 2

Abla Sharma

प्रधानाचार्य

रा० बा० आवा० उ० मा० वि०

वजीरपुरा,टोंक

Scanned by CamScanner